न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 04 / 2021 (2021 / 00018)

तारीख दायरा–07.01.2021

तारीख निर्णय–10.02.2021

1. श्री पेमा पिता गजींग भील उम्र वयस्क निवासी ओडवाडीया तहसील गोगुन्दा।

........प्रार्थी

बनाम

1. श्री हरज्या पिता गजींग भील उम्र वयस्क निवासी ओडवाडीया तहसील गोगुन्दा।
2. श्री केसा पिता गजींग भील उम्र वयस्क निवासी ओडवाडीया तहसील गोगुन्दा।
3. श्री भूरा पिता गजींग भील उम्र वयस्क निवासी ओडवाडीया तहसील गोगुन्दा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

...........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से– श्री नरेन्द्र सिंह झाला

अप्रार्थी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि मौजा ओडवाडिया पटवार सर्कल पलासमा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 145 में वर्णित आराजीयात किता 20 रकबा 0.8750 है0 भुमि स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के पास में विपक्षीगण एवं अन्य खातेदारी की आराजी नम्बर स्थित है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि पास–पास होने से सीमा बंदी के बारे में आये दिन विवाद उत्पन्न होता रहता है। विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण के खातेदारी में अतिक्रमण कर नुकसान पहुंचाते है, जिस बाबत् प्रार्थी ने कई बार सीमा जानकारी कराई गई लेकिन विपक्षीगण उक्त सीमा जानकारी को नहीं मानकर आये दिन सीमा क्षेत्र के पत्थरों को फेंक देते है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य सीमाओं पर पूर्ण नपती के पश्चात पत्थरगढी कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि की पत्थरगढी माननीय तहसीलदार साहब गोगुन्दा के मार्फत कराई जाकर नक्शे में उसका डिमारकेशन कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। विपक्षीगण बावजुद सुचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है [illegible] प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:20:08 IST
Reason: SelfAttested

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। [illegible]स्त आराजियात के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि के पास में विपक्षीगण की जमीन स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। विपक्षीगण द्वारा पत्थरगढी नही किये जाने बाबत् तथ्य प्रस्तुत नही किया है, जबकि बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है।

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज.)

अतः प्रार्थी के खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. का स्वीकार किया जाता है एवं मौजा ओडवाडिया पटवार सर्कल पलासमा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 145 में वर्णित आराजीयात किता 20 रकबा 0.8750 है0 भूमि का उभय पक्षकारानों एवं पडौसी खातेदारो की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Neelam
(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:20:08 IST
Reason: SelfAttested